

International Journal of Social Science and Education Research



ISSN Print: 2664-9845
ISSN Online: 2664-9853
Impact Factor: RJIF 8.15
IJSSER 2024; 6(2): 16-21
www.socialsciencejournals.net
Received: 22-07-2024
Accepted: 04-08-2024

विकास कुमार

शोध छात्र, विश्वविद्यालय इतिहास
विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर
विश्वविद्यालय भागलपुर, बिहार,
भारत

संथालों का व्यवसायिक शिक्षाकरण (1947-2015): एक अध्ययन

विकास कुमार

DOI: <https://doi.org/10.33545/26649845.2024.v6.i2a.110>

सारांश

मानव समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। आधुनिक संथाल समाज निर्धनता बेरोजगारी मद्यपान, पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं का समाधान संथाल समाज व्यावसायिक शिक्षा से कर्मों बेस संपन्न कर सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ-साथ आर्थिक विकास में मानव प्रमुख संसाधन की भूमिका निभाता है, मानव संसाधन विकास के अर्थ में ही संथाल का शैक्षिक, आर्थिक, तकनीकी, व्यावसायिक इत्यादि विकास भी समाहित है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा सब मानव संसाधन विकास के ही साधन हैं। व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। भारत से डिग्री प्राप्त अधिकांश छात्र अमेरिका, चीन, आस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में कार्यरत हैं। स्वास्थ्य एवं देशी औषधि के क्षेत्र में भी आधुनिक संथाल युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया है। संथाल क्षेत्र सहित संपूर्ण भारत में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर क्रमशः सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासकों, पंचवर्षीय योजनाओं एवं आधुनिक सरकार ने इसे अनेक योजनाओं के माध्यम से संथालों के सामूहिक विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षाकारण करने का प्रयास किया। अगर कुछ त्रुटियों को नजर अंदाज किया जाए तो यह काफी हद तक सफल भी रहा इससे संथाल समाज अब शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है।

कूटशब्द: बालश्रम, गरीबी, निरक्षरता, औद्योगीकरण

प्रस्तावना

वर्तमान समय में कोई भी समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से करना चाहता है, इसलिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही वह शिक्षा के पाठ्यक्रम का भी निर्धारण करता है। आधुनिक संथाल समाज निर्धनता बेरोजगारी मद्यपान, पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं का समाधान संथाल समाज की प्राथमिकताओं में शामिल है। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य लोगों की आर्थिक स्थिति एवं उनके जीवन स्तर में निरंतर विकास कर समाज में सुख-शांति स्थापित करना भी है। इस दृष्टिकोण से भी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना अनिवार्य है।

अर्थ की प्रधानता के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में मानव को भी संसाधन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ-साथ आर्थिक विकास में मानव प्रमुख संसाधन की भूमिका निभाता है, इसलिए वर्तमान में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव संसाधन का विकास है।¹ मानव संसाधन विकास के अर्थ में ही संथाल का शैक्षिक, आर्थिक, तकनीकी, व्यावसायिक इत्यादि विकास भी समाहित है,

Corresponding Author:

विकास कुमार

शोध छात्र, विश्वविद्यालय इतिहास
विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर
विश्वविद्यालय भागलपुर, बिहार,
भारत

इसलिए अब शिक्षा के पर्याय के रूप में मानव संसाधन विकास' पद का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा सब मानव संसाधन विकास के ही साधन हैं। व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, यह राष्ट्रीय एकता एवं विकास को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके द्वारा सामाजिक कुशलता, समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, पोषण एवं उसका प्रसार करती है। यह समाज के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करती है। इस तरह, सामाजिक सुधार एवं उन्नति में शिक्षा सहायक होती है।² आधुनिक युग में मानव के संसाधन विकास के रूप में शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है। उचित व्यावसायिक शिक्षा के अभाव में मनुष्य कार्यकुशल नहीं बन सकता। कार्यकुशलता के बिना व्यावसायिक एवं आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस तरह, शिक्षा द्वारा मनुष्य का आर्थिक एवं व्यावसायिक विकास होता है।

शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अगस्त, 2014 तक भारत में छोटे एवं बड़े कुल 682 विश्वविद्यालय खोले जा चुके हैं।³ इनमें व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के मानकों के समन्वयन, निर्धारण तथा अनुरक्षण करने के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए कुछ संवैधानिक व्यावसायिक परिषदें भी कार्यरत हैं। ये परिषदें हैं- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, दूरस्थ शिक्षा परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् इत्यादि।

ये परिषदें चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विज्ञान, तकनीक, कृषि, औषधिविज्ञान, अध्यापक, शिक्षा इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रकार के शिक्षा के रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का निर्धारण, समन्वयन एवं नियंत्रण करती हैं। शिक्षा को रोजगारपरक बनाने में दूरस्थ शिक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे जनजातीय लोग, जो परम्परागत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, वे दूरस्थ शिक्षा पद्धति के द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा को रोजगार के संबंध से देखा जाए, तो नई पीढ़ी के युवाओं ने अपनी बुद्धि एवं क्षमता का लोहा विश्वभर में मनवाया है। भारत से डिग्री प्राप्त अधिकांश छात्र अमेरिका, चीन, आस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में कार्यरत हैं। स्वास्थ्य एवं देशी औषधि के क्षेत्र में भी आधुनिक

संथाल युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया है। इस बात का इससे अच्छा प्रमाण और भला क्या हो सकता है कि वर्ष 1967 में रूड़की विश्वविद्यालय में पूर्व प्रशिक्षित अभियंताओं को उपाधि प्रदान करने के लिए आयोजित किए गए दीक्षान्त समारोह में जब पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गाँधी भाषण देने के लिए उठीं, तो बहुत से इंजीनियरिंग उतीर्ण छात्रों ने खड़े होकर एक स्वर में कहा था- "हमें भाषण नहीं, रोजगार चाहिए।" भारत में प्रायः उच्च शिक्षा को ही रोजगारपरक शिक्षा का जरिया बनाया गया है। कम पढ़े-लिखे संथालों के सामने हमेशा रोजगार की समस्या बनी रहती है। ऐसे संथाल लोगों को स्वरोजगार आधारित शिक्षा देकर रोजगार से जोड़ने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस तरह, हम कह सकते हैं कि रोजगारपरक शिक्षा का आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और प्रजातांत्रिक विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। बशर्ते इसके प्रति संथाल जनजातीय लोगों को जागरूक बनाया जाए। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिये जाने के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि आधुनिक युग-विज्ञान का युग है। विज्ञान के आश्चर्यजनक आविष्कारों ने संसार के स्वरूप और मानव जीवन की दशाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए हैं। व्यक्तियों में यह धारणा अत्यंत बलवती हो गई है कि विज्ञान उनके जीवन को सुखमय बना सकता है, उनकी आर्थिक उन्नति में योग दे सकता है और उनके समाज के स्वरूप को रूपान्तरित कर सकता है।⁴ दूसरा कारण यह है कि व्यावहारिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय विधियों ने उत्पादन से संबंधित प्रत्येक कार्य को अनेक भागों में विभाजन कर दिया है। इन कार्यों को प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् ही व्यक्ति कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। उक्त दोनों कारणों के फलस्वरूप व्यावसायिक शिक्षा की माँग में निरंतर वृद्धि हो रही है। अतः इस शिक्षा की व्यवस्था न केवल पृथक शिक्षा संस्थाओं में की जा रही है। रॉबर्ट यूलिच⁵ के शब्दों में "स्कूलों और कॉलेजों में अधिक से अधिक नवीन विषयों को समाविष्ट किया जा रहा है और प्राचीन मानवशास्त्रों तथा नवीन वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक विषयों में सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है।"

व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ व उद्देश्य

व्यावसायिक शिक्षा-व्यक्ति को किसी कार्य या व्यवसाय से संबंधित प्रविधिक प्रशिक्षण प्रदान करती है, ताकि वह उस व्यवसाय के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। अतः हम व्यावसायिक शिक्षा के अर्थ को "सामाजिक विज्ञानों के विश्वकोश"⁶ के अनुसार, इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं- "व्यापक रूप में

व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उस सब प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जा सकता है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है।"

उद्देश्य

"यूनेस्को के बारहवें अधिवेशन में व्यावसायिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए – व्यावसायिक शिक्षा के समस्त कार्यक्रमों में सामान्य, वैज्ञानिक एवं विशिष्ट विषयों में समुचित संतुलन होना चाहिए। शिक्षा के समस्त कार्यक्रम तीव्र गति से विकसित होने वाले शिल्पविज्ञान की प्रकृति के अनुरूप होने चाहिए। इस शिक्षा के कुछ कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए, जो शारीरिक या मानसिक दृष्टि से दोषपूर्ण व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हों, ताकि वे समाज एवं उसके व्यवसायों में समायोजित हो जाएँ। इसके अलावे शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शारीरिक कार्य के महत्व, एवं इस शिक्षा संगठन का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपनी शिक्षा को उस समय तक जारी रख सकें, जब तक उसकी कुशलताओं का पूर्णतम संभव विकास न हो जाए।

व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता व महत्व:

आधुनिक शिक्षा में परिलक्षित होने वाला एक मुख्य परिवर्तन यह है कि व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक से अधिक बल दिया जा रहा है। भारतीय शिक्षा-विशारद प्रो. हुमायूँ कबीर ने अपने एक लेख में संसार के कुछ प्रमुख देशों के उदाहरण देकर व्यावसायिक शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता को प्रमाणित किया है। प्रो. कबीर⁷ का मत है कि किसी देश अथवा राष्ट्र की समुन्नति एवं सुदृढता का आधार-विज्ञान एवं प्राविधिक विषयों की शिक्षा है। संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत रूस, जर्मनी और जापान इसके सजीव उदाहरण हैं। आज से लगभग सौ वर्ष पूर्व संयुक्त राज्य अमरीका एक पिछड़ा हुआ और अविकसित देश था। परन्तु व्यावसायिक शिक्षा का उत्कृष्ट आयोजन एवं उत्तरोत्तर उत्थान करने के कारण आज वह संसार का सबसे धनी देश है और अनेक देश उसके ऋण-भार से दबे हुए हैं। ये उदाहरण इस बात के संप्रामाण्य प्रमाण हैं कि किसी भी देश की उन्नति में व्यावसायिक शिक्षा का कितना अपार महत्व है। भारत के विषय में यह बात अक्षरशः सत्य है। यहाँ भौतिक सम्पत्ति का बाहुल्य है। यहाँ की धरती-कपास, पटसन, कच्चा रेशम आदि के उत्पादन के लिए जगत्-प्रसिद्ध है। इस धरती के गर्भ में तेल, ताँबा, लोहा, कोयला आदि खनिज पदार्थों के अपार भंडार छिपे पड़े हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश की समृद्धि के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि उसकी जनशक्ति वैज्ञानिक, प्राविधिक एवं व्यावसायिक ज्ञान में दक्ष हो। तभी उस देश की जनता भौतिक सम्पत्ति का सर्वोत्तम उपयोग करके, अपने देश को उन्नतिशील देशों की श्रेणी में सुनिश्चित स्थान प्रदान कर सकती है। इस ज्ञान के महत्व एवं आवश्यकता से सुपरिचित होने के कारण हमारी सरकार ने 1958 के अपने 'विज्ञान-नीति-प्रस्ताव' में भारत के औद्योगिक विकास के लिए निम्नांकित नीति निर्धारित की है- "राष्ट्र की सम्पदा एवं सम्पन्नता-औद्योगीकरण के द्वारा उसके मानव एवं भौतिक साधनों के समुचित उपयोग पर आधारित है। औद्योगीकरण के लिए मानव-साधनों का उपयोग-विज्ञान की शिक्षा और प्राविधिक कुशलताओं में प्रशिक्षण की माँग करता है। भारत की जनशक्ति के विशाल साधन-प्रशिक्षित एवं शिक्षित होकर ही आधुनिक संसार में उपयोगी हो सकते हैं।"

ब्रिटिश काल में व्यावसायिक शिक्षा

भारत में ब्रिटिश काल का आरंभ सन् 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के समय से माना जाता है। उस समय से लेकर सन् 1947 तक उन्होंने भारत पर अखंड शासन किया। अतः उन्होंने एक क्रमबद्ध योजना के अनुसार भारतीय उद्योगों का विनाश किया और ब्रिटिश उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का अपने मूल्य पर विक्रय करके, भारत के समस्त आर्थिक स्रोतों को शुष्क कर दिया। सुंदर लाल⁸ के अनुसार, इस असाधारण अर्ध पतन का मूलभूत कारण था- "अंग्रेजों का अपनी निर्धारित नीति के अनुसार भारत की ग्राम पंचायतों, शिक्षा-प्रणाली, हजारों-लाखों पाठशालाओं और हजारों साल से उन्नत उद्योग-धंधों का नाश कर डालना।" इन उद्योग-धंधों में सर्वप्रथम नष्ट किया गया- भारत के सबसे अधिक उन्नतिशील वस्त्र-उद्योग को। भारतीय उद्योगों, के विनाश का एक भयावह परिणाम यह हुआ कि लाखों शिल्पी बेरोजगार हो गए और उनमें से हजारों क्षुधा की असहा वेदना से तड़प-तड़प कर निष्प्राण हो गए। इस प्रकार, परिणामतः इस शिक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। जो निम्न कालखंडों में विभक्त है-

1. 1800 से 1857 तक इस अवधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यावसायिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसने कुछ इनी-गिनी संस्थाएँ अवश्य स्थापित कीं, जिनका मुख्य उद्देश्य शासन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इन संस्थाओं में उल्लेखनीय हैं- 1. रूडकी का टॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज (1847), 2. पूना का

इंजीनियरिंग स्कूल, (1854) और 3. कलकत्ता का इंजीनियरिंग कॉलेज, (1856) 1

2. 1857 से 1902 तक भारत में व्यावसायिक शिक्षा का क्रमबद्ध इतिहास आरंभ करने का श्रेय 1854 के "बुड के आदेश पत्र" को प्राप्त है। इस "आदेश-पत्र" में बलपूर्वक कहा गया "जनसाधारण को व्यावहारिक एवं लाभप्रद शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए।" किन्तु कम्पनी के भारत-स्थित कर्मचारियों ने इस और उचित ध्यान नहीं दिया। 1882 के हंटर कमीशन ने व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को समझकर सबसे पहले हाईस्कूल के पाठ्यक्रम में इस शिक्षा को स्थान दिया। कमीशन ने सुझाव दिया कि इस पाठ्यक्रम को दो वर्गों में विभाजित कर दिया जाए- पहला पाठ्यक्रम साहित्यिक हो और उन छात्रों के लिए हो, जो विश्वविद्यालयों में प्रवेश करना चाहते हों। दूसरा पाठ्यक्रम असाहित्यिक एवं व्यावसायिक हो और उन छात्रों के लिए हो,

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रत्येक अधिवेशन में व्यावसायिक शिक्षा की माँग की। भारतीय विश्वविद्यालयों ने इस शिक्षा के विविध विषयों में डिग्री और डिप्लोमा के कार्यक्रम आरंभ किए। सन् 1917 के सैडलर कमीशन ने इस शिक्षा के विकास के लिए दो मुख्य सुझाव दिए- (क) इंटरमीडिएट स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए और (ख) विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम आरंभ किए जाएँ। सन् 1929 की हर्टाग समिति ने अनुरोध किया कि हाईस्कूल के पाठ्यक्रम में व्यापारिक विषयों को स्थान दिया जाए। सन् 1936 की बुड एवं ऐबट समिति ने व्यावसायिक शिक्षा के विषय में तीन मुख्य सुझाव दिए- (A). देश के उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार इस शिक्षा का विस्तार किया जाए, (B). कुटीर उद्योग-धंधों में सलग्न व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए और (C). जूनियर एवं सीनियर वोकेशनल स्कूलों की स्थापना की जाए। सरकार और जनता दोनों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप इस काल में व्यावसायिक शिक्षा की विकास-प्रक्रिया में तीव्रता आ गई। इसका प्रमाण यह है कि भारतीय छात्रों को इस शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शिक्षा-संस्थाओं का निर्माण किया गया- 1. इंडियन स्कूल ऑफ भाइन्स, धनबाद, 2. गवर्नमेंट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास, 3. इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स, बंगलौर, 4. हाईकोर्ट टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर, 5. स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, बम्बई और 6. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग

एण्ड टेक्नोलॉजी, जादवपुर। सन् 1937 में संपूर्ण भारत में 535 प्रौद्योगिकी, औद्योगिक शिक्षा-संस्थाएँ थी।

स्वतंत्र भारत में व्यावसायिक शिक्षा

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही हमारे राष्ट्रीय नेता भारत का औद्योगिक विकास करने के लिए कटिबद्ध हैं। यह तभी संभव है, जब देश के प्रत्येक अंतोः का अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यावसायिक शिक्षा का सुनियोजन अनिवार्य है। इस विषय में स्वतंत्र भारत में नियुक्त किये जाने वाले शिक्षा-आयोगों ने अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। "योजना आयोग" ने अपने विचारों से इन सुझावों को समृद्ध बनाया है। भारत के प्रशासकों ने इस सुझावों एवं विचारों और अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित अनेक प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए हैं। इनके परिणामस्वरूप, इस शिक्षा की आश्चर्यजनक प्रगति हुई है।

शिक्षा आयोगों के व्यावसायिक शिक्षा विषयक सुझाव

(A). विश्वविद्यालय-शिक्षा आयोग (1948-49) ने व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करके अनेक सुझाव दिए, जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं।⁹ प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कृषि की शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 3 या 4 प्रकार की विभिन्न व्यावसायिक फर्मों में व्यावहारिक कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वर्तमान इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की संस्थाओं को देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति समझा जाना चाहिए और उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जानी चाहिए। उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजिकल संस्थाओं की शीघ्र-से-शीघ्र सृष्टि की जानी चाहिए।

(B). माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) ने माध्यमिक शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उत्पत्ति करना बताया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एवं व्यावसायिक शिक्षा के विषय में 'आयोग' ने जो सुझाव दिए, उनमें निम्नांकित महत्वपूर्ण हैं।¹⁰ माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण स्कूलों में कृषि शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। अतः इन स्कूलों में उद्यान-विज्ञान, पशुपालन एवं कुटीर उद्योग-धंधों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में टेक्निकल स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या में स्थापना की जानी चाहिए। बड़े नगरों में

टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूटों का निर्माण किया जाना चाहिए। उद्योगों पर "शिक्षा कर" लगाया जाना चाहिए और इस प्रकार प्राप्त होने वाले धन को व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने में व्यवहृत किया जाना चाहिए।

(C). शिक्षा-आयोग (1964-66) ने देश के औद्योगीकरण को सफल बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की उत्कृष्ट व्यवस्था को आवश्यक बताया और इस संबंध में निम्नलिखित मुख्य सुझाव प्रस्तुत किए¹¹- विद्यालय-स्तर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सर्वेक्षण के आधार पर प्रशिक्षण की सुविधाओं का अधिक-से-अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। विद्यालय-शिक्षा समाप्त करने वाले छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पत्राचार-पाठ्यक्रमों, अल्पकालीन पाठ्यक्रमों एवं संक्षिप्त सघन पाठ्यक्रमों, की व्यवस्था की जानी चाहिए। टेक्निकल स्कूलों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में व्यावहारिक कार्य पर विशेष बल दिया जाना चाहिए एवं उनको उत्पादनोन्मुखी बनाया जाना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को अधिक-से-अधिक व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए। अतः इस स्तर पर वाणिज्यिक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक कार्यों के विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

पंचवर्षीय योजनाओं में व्यावसायिक शिक्षा

"पाँचवीं पंचवर्षीय योजना" के अनुसार- "देश ने अपने लिए दो नीति-निर्देशक लक्ष्य निर्धारित किए हैं- निर्धनता का उन्मूलन एवं आर्थिक आत्म-निर्भरता की प्राप्ति। हमारी योजनाएँ इन्हीं लक्ष्यों से अपनी मूल प्रेरणा ग्रहण करती हैं।" इसी प्रेरणा के परिणामस्वरूप पंचवर्षीय योजनाओं में अन्य कार्यों के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं की पर्याप्तता को प्राथमिकता दी गई है।

व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति

व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कर रहे हैं- व्यावसायिक स्कूल शिक्षा- इस समय भारत के अधिकांश राज्यों में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाएँ हैं। इन संस्थाओं में कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, पशुपालन एवं हस्तशिल्पों को शिक्षा दी जाती थी। जो बालक 8वीं या 9वीं कक्षा के बाद पढ़ना नहीं चाहते हैं। उनके लिए "औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ" व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाती हैं। जूनियर टेक्निकल स्कूल छात्रों की इंजीनियरिंग से संबंधित व्यवसायों के लिए तैयार करते हैं। देश में कुछ पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण-केन्द्र भी कार्य कर रहे हैं।

उच्च व्यावसायिक शिक्षा - खड़गपुर, बम्बई, मद्रास, नई दिल्ली और कानपुर स्थित राष्ट्रीय महत्व की उच्च प्रौद्योगिकी संस्थाएँ पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओं में पूर्व-स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, परीक्षा के आधार पर होता है, जो देश के कई केन्द्रों में होती है। इन संस्थाओं में प्रति वर्ष 1,250 विद्यार्थी पूर्व-स्नातक कक्षाओं में और 1,200-1,500 विद्यार्थी स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर पर प्रवेश लेते हैं। इनके अतिरिक्त, 14 प्रादेशिक इंजीनियरिंग कॉलेज और कई अन्य इंजीनियरिंग और औद्योगिक संस्थाएँ और कई पॉलिटैकनीकों की स्थापना की गई। खान और धातुकर्म-विज्ञान आदि विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए डिग्री और डिप्लोमा स्तर के कई केन्द्रों की स्थापना की गई है। पुरानी संस्थाओं का विस्तार और विकास किया गया है। इंजीनियरिंग शिक्षा को व्यावहारिक प्रशिक्षण से सम्बद्ध करने के लिए उद्योगों के सहयोग से 60 इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटैकनीकों में दोमुखे पाठ्यक्रम आरंभ किए गए। इंजीनियरिंग के डिग्री स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रमों की अवधि 5.5 वर्ष और डिप्लोमा स्तर की अवधि 3.5 वर्ष की है।

व्यावसायिक शिक्षा के स्तर

इस समय भारत में व्यावसायिक शिक्षा के 4 स्तर या कोर्स हैं, यथा- स्नातकोत्तर कोर्स व अनुसंधान-स्नातकोत्तर कोर्सों की अवधि एक या दो वर्ष की है। अनुसंधान कार्य की अवधि दो या तीन वर्ष की है और स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही किया जा सकता है। स्नातक कोर्स- स्नातक कोर्सों की अवधि 3 से 5 वर्ष की है। इस कोर्स के कुछ मुख्य विषय हैं- धातु एवं खनिज विज्ञान और मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, टेक्सटाइल एवं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा कोर्स - डिप्लोमा कोर्सों की अवधि साधारणतः 3 वर्ष की है। यह शिक्षा सामान्यतः पॉलिटैकनीकों और तकनीकी स्कूलों में दी जाती है। सर्टिफिकेट कोर्स - सर्टिफिकेट कोर्सों का उद्देश्य- कारीगरों को प्रशिक्षण देना है। कारीगर दो प्रकार के होते हैं- 1. कुशल कारीगर और 2. अर्द्ध-कुशल एवं सामान्य कारीगर। दूसरे प्रकार के कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए हमारे देश में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। कुशल कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिए 3 प्रकार की संस्थाएँ हैं- टेक्निकल स्कूल, इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आर्ट्स एवं क्राफ्ट्स स्कूल।

व्यावसायिक शिक्षा की समस्याएँ

अंग्रेजों के शासन काल में भारत के उद्योग, पतन के निम्नतम स्तर पर थे। उन्होंने कभी भारतीय व्यावसायिक

शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान समय में कमोबेश बहुत सुधार हुआ लेकिन इनमें से कुछ गंभीर समस्याएँ रह गई जो निम्न हैं-

1. हस्तकार्य के प्रति अनुचित दृष्टिकोण एवं 2. दोषपूर्ण पाठ्यक्रम - हमारी व्यावसायिक शिक्षा-संस्थाओं के पाठ्यक्रम में दो मुख्य दोष हैं- संकीर्णता एवं समरूपता। इसके अलावे व्यावसायिक शिक्षा इतनी महंगी है कि साधारण आर्थिक स्थिति के छात्रों को अपने अभिभावकों से पाठ्य-पुस्तकों और शिक्षा-संबंधी विविध प्रकार की सामग्री के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है। इस शिक्षा की संस्थाओं में योग्य अध्यापकों का अभाव है, अतः इनमें शिक्षण का स्तर निम्न है। इस शिक्षा की संस्थाओं में अनेक ऐसी संस्था है, जिनकी वर्कशॉपों और प्रयोगशालाओं में पर्याप्त उपकरण नहीं है और जो हैं भी वे प्राचीन ढंग के हैं। अतः छात्र उचित और आवश्यक प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं। इस शिक्षा की संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी है। अतः जिन छात्रों को इस भाषा पर अधिकार नहीं होता है, वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं।

10. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, (1952); व्यवसायिक शिक्षा पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, नई दिल्ली, पृ.स. 205-08.

11. उपरोक्त, पृ० २०६-08

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जोशी, सुषमा, (2007), भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं समस्याएँ, इलाहाबाद, पृ.सं. 132-34.
2. माथुर, एस.एस., (1976): शिक्षा सिद्धान्त, आगरा, पृ.सं. 38-39.
3. स्टीवेन्सन, जॉन, (2003); विकासशील व्यावसायिक विशेषज्ञता : व्यावसायिक शिक्षा में सिद्धान्त और मुद्दे, एलन एण्ड अनविन, कोयेनेस्ट एन.ए.डब्ल्यू, पृ.सं. 169.
4. कॉलिन क्राउच, (1999); उन्नत औद्योगिक देशों में कौशल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ.सं. 96.
5. स्किलबेक, मैल्कम, (1994): द वोकेशनल केस्ट: शिक्षा और प्रशिक्षण में नई दिशाएँ, रूटलेज प्रकाशन, पृ.सं. 176.
6. मासन, जॉन पॉल, (2009), 'तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का समर्थन, तकनीक वॉल्यूम, 84, नंबर-7 अक्टूबर, पृ.सं. 49.
7. अग्रवाल, तरूण, (2017), भारत में शिक्षा के बदलते कदम, वाराणसी. पृ.सं. 117.
8. 8 बर्णवाल, सुन्दर लाल, (1999); व्यवसायिक शिक्षा का इतिहास, पटना, पृ.सं. 155.
9. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, (1950); विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन की रिपोर्ट, नई दिल्ली, पृ.सं. 199.